

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.) ।
सामान्य शाखा

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग ।	राजस्थान पुलिस अकादमी सामान्य शाखा
2.	अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ ।	(क) सहायक निदेशक (प्रशासन) – समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व । (ख) प्रभारी सामान्य शाखा – सामान्य शाखा से संबंधित समस्त दायित्वों का निर्वहन । (ग) सहायक स्टाफ – 07 – प्रदत्त कार्यों का सम्पादन ।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया ।	सहायक निदेशक(प्रशासन) के एवं समुचित माध्यम द्वारा पत्रावली प्रस्तुत कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं ।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड ।	नियमानुसार कार्यों के निर्वहन के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए जनरल शाखा के निर्धारित समस्त कर्तव्यों का सम्पादन । इसके साथ ही जनरल शाखा द्वारा जारी की गई एसओपी के द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्य सम्पादन किया जाता है ।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम ।	RTPP Act-2012, GF&AR - Other Circular Issued by PHQ ➤ प्रशिक्षण निदेशालय एवं निदेशक आर.पी.ए. द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन एवं क्रय प्रक्रिया । ➤ कार्य निर्धारण हेतु जनरल शाखा द्वारा जारी प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के तहत कार्य निष्पादन पालन करवाना । ➤ समय समय पर जारी अन्य विनियम ।
6.	श्रेणियों का विवरण ।	<ul style="list-style-type: none"> ● आधुनिकीकरण, पंचवर्षीय योजना, नवीन प्रस्ताव, भूमि भवन, वाहन, हॉस्टल, वेलफेयर, स्टाफ कौंसिल, रिसाला, अस्पताल, हथियार, पानी बिजली, भौतिक सत्यापन, निरीक्षण, सेवासंकुल, महिला कल्याण केन्द्र इत्यादि कार्य । ● समस्त प्रकार की प्रशासनिक पत्रावलियां ● क्रय पत्रावली ● संधारण इण्डेड रजिस्टर का संधारण ● पत्रावली आवक जावक रजिस्टर, ● टेण्डर रजिस्टर ● समारोह आयोजन सम्बन्धी पत्रावलियां ● सा. नि. विभाग द्वारा रखरखाव एवं मरम्मत सम्बन्धी पत्रावलियां ● शाखा से सम्बन्धी विभिन्न कार्यों पत्रावलियां
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण ।	लागू नहीं ।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण ।	लागू नहीं ।

9.	अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक(प्रशासन), फोन नं. -0141-2302131, पीबीएक्स नं0 504।
10.	अधिकारियों / कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आंवटित।	लेखा शाखा।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टतां।	सहायक निदेशक(प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी, निदेशक, आरपीए, प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।